

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग - 2

४ विधायों एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ४

शुक्रवार, ०१ नवम्बर, १९९६ / कार्तिक १०, १९१८ शक ४

संख्या: २९६

सदस्य को नज़रबंदों एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, दक्षिण दिल्ली का दिनांक २५. १०. ९६ का निम्नलिखित संदेश
२८. १०. ९६ को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको सप्तमान सूचित करना है कि श्री शीशा पाल, विधायक तुगलकाबाद को आज यानी २५. १०. ९६ को १४१० बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम, १९७८ को धारा ६५ के अन्तर्गत नज़रबंद किया गया था। उन्होंने कालकाजी पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत रविदास मार्ग पर चल रहे निर्मार्गों को गिराये जाने के कार्य के दौरान कानून और व्यवस्था को समस्या खड़ी करने की कोशिश की थी।

२. उन्होंने जनता को उक्साने और इस तरह से कार्य में विघ्न डालने की कोशिश की थी। उन्होंने इस इरादे को भाष्टते हुए कि यदि उन्हें इस स्थान पर रहने दिया गया तो वे कानून और व्यवस्था भंग करने को समस्या खड़ी करें और जब कालकाजी थाने के सहायक पुलिस आयुक्त और धानाध्यक्ष द्वारा उनको वह स्थान छोड़ने के निर्देश दिये जाने पर भी उन्होंने वह स्थान नहीं छोड़ा तो उन्हें कालकाजी पुलिस थाने पर दिल्ली पुलिस अधिनियम को धारा ६५ के अन्तर्गत उस स्थान से हटा दिया गया और नज़रबन्द कर दिया गया।

३. मुझे सप्तमान आपको यह सूचित करना है कि चूंकि जिस परिस्थिति में उन्हें हटाया/नज़रबंद किया गया था वह परिस्थिति समाप्त हो गई थी यानी निर्मार्गों को गिराने का कार्य पूरा हो गया था इसलिए श्री शीशा पाल, विधायक को आज २५. १०. ९६ को १७३० घंटों पर रिहा कर दिया गया था।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, November 01, 1996 / Kartika 10, 1918 (Saka)

No. 296

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message dated 25.10.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Addl. Dy. Commissioner of Police, South Distt., New Delhi on 28.10.96 :-

"I have the honour to inform you that Shri Shish Pal, M.L.A. Tuglakabad was detained u/s 65 Delhi Police Act of 1978 at 1410 hrs. today i.e. 25/10/96. He intended to create law and order problem during the demolition programme under way on Ravi Dass Marg falling under the jurisdiction of Police Station Kalkaji.

2. He attempted to incite the public thus hampering the operation. Sensing his intention that if allowed to remain on the scene, he would have caused law and order problem. When he did not leave the place, though directed to do so by ACP/Kalkaji and SHO/Kalkaji he was removed from the spot and was detained u/s 65 of D.P. Act, at P.S. Kalkaji.

3. I have the honour to inform you that Shri Shish Pal, M.L.A. was released at 1730 hrs. today (25.10.96) as the situation warranting his detention/removal had ceased to exist that the demolition operation was over."

P.N. GUPTA
SECRETARY